Central Water Commission
Technical Documentation Directorate
Bhagirath(English)& Publicity Section
****

West Block II, Wing No-5
R K Puram, New Delhi – 66.

Dated 21.02.2018

Subject: Submission of News Clippings.

The News Clippings on Water Resources Development and allied subjects are enclosed for perusal of the Chairman, CWC, and Member (WP&P/D&R/RM), Central Water Commission. The soft copies of clippings have also been uploaded on the CWC website.

21/2/2018
for SPA (Publicity)

Encl: As stated above.

Deputy Director (Publication)
21/2

For information of Chairman &Member (WP&P/D&R/R.M.), CWC and all concerned, uploaded at www.cwc.nic.in

O/C

News item/letter/article/editorial published on 21.08.2018 in the

Hindustan Times ✓	Nav Bharat Times (Hindi)	M.P.Chronicle
Statesman	Punjab Keshari (Hindi)	A a j (Hindi)
The Times of India (N.D.)	The Hindu	Indian Nation
Indian Express	Rajasthan Patrika (Hindi)	Nai Duniya (Hindi)
Tribune	Deccan Chronicle	The Times of India (A)
Hindustan (Hindi)	Deccan Herald	Blitz

and documented at Bhagirath(English)& Publicity Section, CWC.

Centre nod for tribunal on Mahanadi water dispute

RIVER POLITICS BJP looks to reap poll dividends from decision, BJD sees it as its victory

Saubhadra Chatterji and Debabrata Mohanty
letters@hindustantimes.com

NEW DELHI/BHUBANESWAR: The central government on Tuesday approved the formation of a tribunal to adjudicate the Mahanadi water-sharing dispute between Odisha and Chhattisgarh, two months after telling the Supreme Court that it was a bad idea.

"The Union cabinet chaired by Prime Minister Narendra Modi approved the proposal for adjudication of the Mahanadi water-sharing dispute. The tribunal will determine water sharing on the basis of the overall availability in the Mahanadi basin, contribution of each state, utilisation of water resources in each state, and the potential for future development," a government press release said.

The root cause of the water-sharing dispute is the construction of several industrial barrages on upper reaches of Mahanadi by BJP-ruled Chhattisgarh despite objections raised by Odisha, the lower-riparian state.

In January, the Supreme Court directed the Centre to constitute a tribunal to adjudicate on the matter within a month. It further ruled that the tribunal should come out with a decision in three years, with a maximum extension of two more.

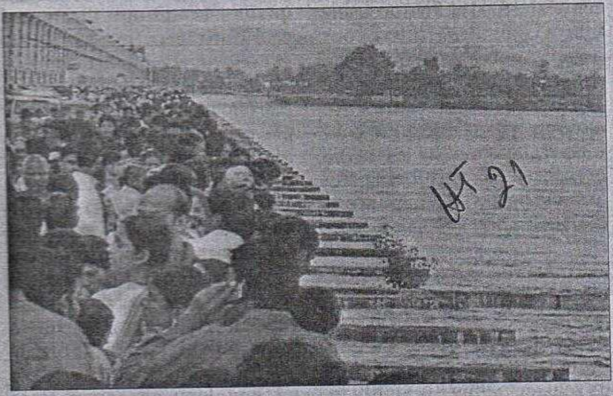

The root cause of the water-sharing dispute is the construction of several industrial barrages on upper reaches of Mahanadi by BJP-ruled Chhattisgarh despite objections raised by Odisha. HT FILE

The Centre's volte-face on the tribunal came after the ruling BJD in Odisha, which will face the next assembly elections in 2019, went to town with its demands for judicial adjudication. The BJP is also hoping to improve its tally in Odisha—a state with 21 Lok Sabha seats—in the upcoming parliamentary and assembly elections. In the current Lok Sabha, the saffron party has just one seat from Odisha while the rest belongs to Naveen Patnaik's BJD.

In an interview with HT last month, BJP president Amit Shah named Odisha as a state where his party hopes to improve its tally. "We did well in the local elections there," he had said.

Incidentally, the Union cabinet decision also comes amid hectic campaigning for the Bijepur bypoll in the state.

While the BJP may hope to reap political dividends from the cabinet decision, the BJD sees the development as a victory of its agitation. The Mahanadi's catchment area mostly covers western Odisha, the BJP's stronghold in the state.

"Despite persistent calls, the Centre paid no heed to our concerns. The BJP can't claim any credit for the tribunal. It is a victory for the people of Odisha," said Bhartruhari Mahtab, the BJD's leader in the Lok Sabha.

Analysts point out that as the Mahanadi is an arterial river, agriculture in the state largely depends on its water. "In this case, I think the BJD will be able to claim credit because the Centre had earlier refused to form a tribunal. But tribunal proceedings take a long time, and there are instances of states going back to the Supreme Court after a verdict has been pronounced," said Jugal Kishore Mohapatra, economist and former Union secretary for rural development.

As per legal provisions, the tribunal will comprise a chairman and two other members (SC or high court judges) nominated by the Chief Justice of India. Furthermore, two assessors with experience in handling sensitive water-related issues will be appointed to advise the tribunal during the proceedings.

BJP national secretary Suresh Pujari said he will wait and watch how the Naveen Patnaik government presents Odisha's case before the tribunal. "The BJD has no reason to celebrate the river tribunal's formation.. If Odisha loses the case, the BJD's demand will boomerang," he added.

3
Covering L., YIS

News item/letter/article/editorial published on 21.02.2018 in the

Hindustan Times	Nav Bharat Times (Hindi)	M.P.Chronicle
Statesman	Punjab Keshari (Hindi)	A a j (Hindi)
The Times of India (N.D.)	The Hindu	Indian Nation
Indian Express	Rajasthan Patrika (Hindi)	Nai Duniya (Hindi)
Tribune	Deccan Chronicle	The Times of India (A)
Hindustan (Hindi)	Deccan Herald	Blitz

and documented at Bhagirath(English)& Publicity Section, CWC.

Is this end of winter? 30°C likely today

21-PID

Rain, Hail May Hit North Over The Weekend But Bypass City

IS FEB GETTING WARMER?

Avg max temperatures of past 25 years in Delhi reveals:

7 of 10 warmest Februarys have come in last 12 years

5 of last 10 years saw temperatures in Feb touch 30°C

By contrast, the 1st 10-yr period (since 1992) saw temps hit 30°C on just 2 years

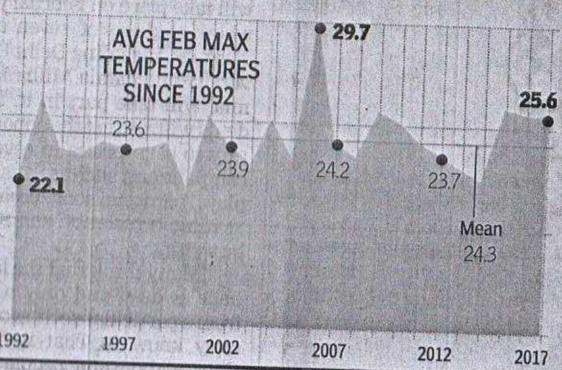

Amit.Bhattacharya
@timesgroup.com

New Delhi: In what could signal the end of this year's mild winter in the capital, day temperatures are likely to hit 30 degrees Celsius for the first time in the season on Wednesday, the met department said. Even nights and early mornings are forecast to become several degrees warmer by the end of the week.

There's a forecast of snowfall in the hills, and rain — even hailstorms at a few places— in the northern plains on Saturday. But the wet weather will likely bypass Delhi-NCR, providing just a slight dip in temperatures for the next couple of days, the department said.

"We expect the maximum temperature in Delhi tomorrow to cross the 30-degree mark. It was 29 degrees C today, a rise of more than two notches from the previous day," said Kuldeep Srivastava, head of IMD's Regional Weather Forecasting Centre here.

Temperatures have been hitting 30 in February with increasing regularity in recent years (see graphic), which could be a sign of a warming trend. Last year, the highest temperature recorded during the month was 32.4 degrees C, an 11-year high. The 25-year record for the highest temperature during the month is 34.1 degrees C (on February 26, 2006).

The warm spell expected this week could prove to be the end of winter in the capital. IMD's medium range forecast, a four-week overview of likely weather conditions in the country, predicts higher than normal maximum and minimum temperatures across north India in the next two weeks.

Last year, the highest temperature recorded during the month was 32.4 degrees C, an 11-year high. The 25-year record for the highest temperature during the month is 34.1 degrees C in 2006)

Met officials said temperatures anyway start climbing in the second half of February. This year, the absence of winter rain and snow in north India could just hasten the transition. The main reason for the largely dry weather has been an absence of western disturbances (WDs) coming into the northern plains, they said.

WDs, which are waves of cool, moist winds coming in from southern Europe and the Mediterranean, are largely responsible for cold and wet spells in the north Indian winter. "We have had just one WD affecting the northern plains in each month since November. Normally, we get around three during each of these months," said Srivastava.

However, a WD, the second in February, is expected to bring snowfall in J&K, Himachal Pradesh and higher reaches of Uttarakhand on Saturday. "The northern plains will get rain, with hailstorms at some places. But we don't expect Delhi-NCR to get much rain, if at all," the official added.

News item/letter/article/editorial published on 21.02.2018 in the

Hindustan Times
Statesman
The Times of India (N.D.)
Indian Express
Tribune
Hindustan (Hindi)
Nav Bharat Times (Hindi)
Punjab Keshari (Hindi)
The Hindu
Rajasthan Patrika (Hindi)
Deccan Chronicle
Deccan Herald
M.P.Chronicle
A a j (Hindi)
Indian Nation
Nai Duniya (Hindi)
The Times of India (A)
Blitz

and documented at Bhagirath(English)& Publicity Section, CWC.

यमुना नहर मामले में सरकार ने हाईकोर्ट में पेश किया जवाब

P 21-2-18

झुंझुनूं @ पत्रिका. सीकर, चूरू व झुंझुनूं में यमुना नहर का पानी लाने के मामले में सरकार ने मंगलवार को हाईकोर्ट में जवाब पेश किया है। याचिकाकर्ता यशवर्धन सिंह की ओर से दायर याचिका के मामले में न्यायालय ने सरकार की याचिका समाप्त करने की मंशा पर पानी फेरते हुए दो महीने बाद प्रगति रिपोर्ट के लिए सुनवाई मुकर्रर की। सरकार ने जवाब पेश करते हुए न्यायालय को बताया कि सरकार ने उच्च स्तरीय बैठक कर महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। जिसे केंद्रीय जल संसाधन मंत्री नीतिन गडकरी तथा राज्य के जल संसाधन मंत्री के बीच हुई उच्च स्तरीय बैठक में हरियाणा की ओर से पेश की गई आपत्तियों को खारिज करते हुए राजस्थान को उसके हिस्से का पानी देने का फैसला लिया गया। ताजेवाला हैड से झुंझुनूं और चूरू तक पानी पहुंचाने के लिए नहर बनाने के लिए डीपीआर बनाने का भी फैसला हुआ। राज्य सरकार ने अपने जवाब में न्यायालय को बताया कि लगभग 20 हजार करोड की लागत से ताजेवाला हैड से झुंझुनूं सीमा तक पाइपों के माध्यम से पानी लाया जाएगा। सरकार को आशा थी कि इस जवाब से न्यायालय संतुष्ट हो जाएगा और जनहित याचिका का निस्तारण हो जाएगा। उच्च न्यायालय ने इस मसले की प्रगति की जांच के लिए दो महीने बाद पुनः सुनवाई के आदेश दिए हैं। उल्लेखनीय है कि उच्च न्यायालय ने पिछले महीने यमुना नहर मामले में सरकार को जवाब पेश नहीं करने पर फटकार भी लगाई थी। जिसके चलते सरकार ने इस मसले में गंभीरता से प्रयास शुरू किए ताकि न्यायालय में दुबारा सरकार को किरकिरी ना झेलनी पड़े।

News item/letter/article/editorial published on 21.02.2018 in the

Hindustan Times	Nav Bharat Times (Hindi)	M.P.Chronicle
Statesman	Punjab Keshari (Hindi) ✓	A a j (Hindi)
The Times of India (N.D.)	The Hindu	Indian Nation
Indian Express	Rajasthan Patrika (Hindi)	Nai Duniya (Hindi)
Tribune	Deccan Chronicle	The Times of India (A)
Hindustan (Hindi)	Deccan Herald	Blitz

and documented at Bhagirath(English)& Publicity Section, CWC.

पंजाब-21-2-18

अमोनिया मामलाः दिल्ली व हरियाणा के बीच बैठक

हरियाणा ने जतायी समस्या खत्म करने की प्रतिबद्धता

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): यमुना के पानी में अमोनिया की बढ़ रही मात्रा को लेकर दिल्ली सरकार और हरियाणा सरकार के बीच चल रहे तनाव को कम करने और अमोनिया की समस्या का हल निकालने के लिए हरियाणा और दिल्ली सरकार के अधिकारियों के बीच नई दिल्ली में बैठक हुई। हालांकि इस बैठक में हरियाणा के मुख्य सचिव तो पहुंचे लेकिन दिल्ली के मुख्य सचिव नहीं पहुंचे। उनकी जगह दिल्ली जलबोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल कुमार सिंह ने बैठक का प्रतिनिधित्व किया। इस दौरान दोनों राज्यों के अधिकारियों ने अमोनिया को लेकर अपने-अपने पक्ष रखे और इसके समाधान पर प्रतिबद्धता जतायी।

इस संबंध में दिल्ली जलबोर्ड के उपाध्यक्ष दिनेश मोहनिया ने बताया कि बैठक में अमोनिया की मात्रा को लेकर हरियाणा के अधिकारियों को अवगत कराया गया। इस दौरान पानीपत के दौरे की जानकारी तथा उस दौरान लिये गये पानी के सैंपल की रिपोर्ट भी दिखायी गई। मोहनिया ने कहा कि अमोनिया की वजह से दिल्ली में पानी की समस्या उत्पन्न हो रही है। हमने हरियाणा के अधिकारियों से कहा कि वे हमें कच्चा पानी यमुना के माध्यम से उपलब्ध न कराएं बल्कि इस कच्चे पानी को कैनाल के माध्यम से उपलब्ध कराएं ताकि इसमें अमोनिया का कंटैमिनेशन न हो। उन्होंने कहा यदि ऐसा होता है तो ठीक है अन्यथा इस मामले को एनजीटी के सामने उठाया जाएगा।

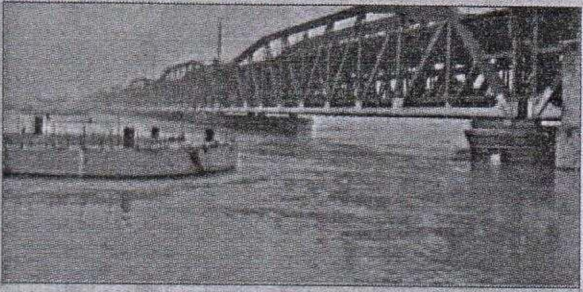

छावनी क्षेत्र के गांवों में होगी मीठे पानी की आपूर्ति

दिल्ली छावनी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को अब मीठे पानी की आपूर्ति की जाएगी। इसके लिए 700 मिलीमीटर व्यास की लाइन से केंद्रीय विद्यालय सदर बाजार का कनेक्शन दिल्ली छावनी से कर दिया गया है। जिससे रोजाना पुरानी नांगल, नारायणा, ईस्ट मेहरम नगर, वेस्ट मेहरम नगर, प्रहलादपुर, झरेरा, बरार स्क्वायर, किर्बी प्लेस, सदर बाजार, तथा गोपीनाथ बाजार में रोजाना एक एमजीडी मीठे पानी की आपूर्ति होगी। छावनी क्षेत्र से विधायक कमांडो सुरेन्द्र सिंह ने बताया कि दिल्ली छावनी की जनता काफी समय से इसका इंतजार कर रही थी। अब दिल्ली छावनी विस के गांव-गांव में पानी पहुंचने का जिम्मा दिल्ली छावनी परिषद के सीईओ का है जिसके लिए एमएलए फंड से 6 करोड़ 30 लाख रुपए दिल्ली छावनी परिषद में जमा किया जा चुका है।

News item/letter/article/editorial published on 21.2.2018 in the

Hindustan Times	Nav Bharat Times (Hindi)	M.P.Chronicle
Statesman	Punjab Keshari (Hindi)	A a j (Hindi)
The Times of India (N.D.)	The Hindu	Indian Nation
Indian Express	Rajasthan Patrika (Hindi)	Nai Duniya (Hindi)
Tribune	Deccan Chronicle	The Times of India (A)
Hindustan (Hindi)	Deccan Herald	Blitz

and documented at Bhagirath(English)& Publicity Section, CWC.

केपटाउन कहीं भी दस्तक दे सकता है

यह सिर्फ संयुक्त अरब अमीरात या केपटाउन की कहानी नहीं है, जल संकट हमारे तमाम शहरों के दरवाजे पर भी खड़ा है।

अनिल प्रकाश जोशी
पर्यावरणविद्

दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन की जल त्रासदी चौंकाने से ज्यादा डराने वाली है। यह दुनिया के बेहतरीन शहरों में से एक माना जाता है और हमेशा अपनी खूबसूरती के लिए चर्चा में रहा है। लेकिन आज केपटाउन दूसरी वजह से सुर्खियों में है। यहां पानी का संकट अपने चरम पर पहुंच चुका है। पिछले एक दशक से वैसे भी यह शहर पानी की किल्लत से गुजर ही रहा था और समय रहते इसके लिए कुछ नहीं किया गया। अब हालत यह है कि घरों को आपूर्ति के लायक भी पानी नहीं बचा। सब कुछ ठप है, क्योंकि जल है, तो जीवन है। वहां नहाना और धोना सब कुछ बंद कर दिया गया है। अब वहां प्रति व्यक्ति मात्र 25 लीटर पानी देना संभव होगा और किसी भी तरह के जल दंगों से निपटने के लिए सेना और पुलिस भी तैयार की जा रही है।

केपटाउन तो एक शहर है, दूसरी तरफ पूरा संयुक्त अरब अमीरात विकराल जल संकट की ओर बढ़ रहा है। इससे निपटने के लिए अंटार्कटिका से समुद्र के रास्ते एक हिमखंड खींचकर लाने की कोशिश की जा रही है। यह काम एक निजी कंपनी को सौंपा जा रहा है। अनुमान है कि यह हिमखंड पांच साल तक यूएई के लोगों की प्यास बुझाएगा। इस अजीब योजना के तहत 8,800 किलोमीटर दूर हिमखंड वहां पहुंचेगा, फिर उसे टुकड़े-टुकड़े करके स्टोर किया जाएगा। दुनिया में बाकी जगह समस्या भले ही इतनी विकराल न हो, लेकिन आबादी के एक बड़े हिस्से को परेशान तो कर ही रही है। अनुमान है कि दुनिया की 1.1 अरब आबादी को आज भी साफ पानी नसीब नहीं होता और दूसरी तरफ 2.7 अरब लोगों को कम से कम एक महीना पानी की कमी से जूझना पड़ता है। यह तय माना जा रहा है कि साल 2025 तक दुनिया की दो-तिहाई आबादी पानी के संकट का शिकार होगी।

पूरी समस्या को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि 1951 में प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता 5,177 घन मीटर थी, जो घटकर वर्ष 2025 में सिर्फ 1,341 घन मीटर पहुंचने वाली है। अपने ही देश में अधिकतर तालाब और कुओं ने दो दशकों में तेजी से पानी खोया है और जहां पर जल 15 से 20 फीट नीचे उपलब्ध था, वहां वह 200 फीट से नीचे जा चुका है। लोकसभा में ही सरकार द्वारा स्वीकारा गया है कि अपने देश में 275 नदियां खतरे की घंटी बजा चुकी हैं, क्योंकि उनमें पानी की मात्रा तेजी से खत्म हो रही है। 2016 में नौ राज्यों के 33 करोड़ लोगों ने भीषण जल संकट को झेला था। जल आयोग के अनुसार, देश के 91 प्रमुख जलाशय अच्छी हालत में नहीं हैं। गरमी आते-आते इनमें 20 से 22 फीसदी पानी ही बचा रहता है।

जब संकट आता है, तो दाएं-बाएं से हम किसी तरह जल जुटा ही लेते हैं और स्थितियां सामान्य होने पर पुराना संकट भुला दिया जाता है। अपने देश में जो नया चलन सामने आया है, वह यह कि जल संकट अब गरमियों की ही समस्या नहीं रह गया, बल्कि शीतकाल में भी लोगों को इससे जूझना पड़ता है। जल संकट का दूसरा बड़ा पहलू यह भी है कि धरती को छेदकर हर हद तक पानी निकालने के हमारे पागलपन ने आर्सेनिक क्लोराइड, फ्लोराइड, नाइट्रेट व आयरन जैसे तत्वों की जल में बहुतायत पैदा कर दी है, जिससे देश को नई तरह की बीमारियां झेलनी पड़ रही हैं।

इस संकट की स्थिति में भी अपने देश में जल के प्रति मनमानी कोई नई बात नहीं है। इसके दुरुप्रयोग के सारे रास्ते खुले हैं। जल संरक्षण व जल के किफायती उपयोग पर न तो कोई कानून दिखता है और न ही कोई बड़ी जागरूकता। इसलिए यह खतरा तो है ही कि देर-सवेर अपने यहां भी केपटाउन जैसी स्थितियां पैदा हो सकती हैं। इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि देश के कई हिस्से खासतौर से गरमियों में भीषण सूखे की स्थिति में पहुंच जाते हैं, शहरों में हर जगह पानी-पानी का शोर सुनाई देने लगता है। दिल्ली हो या देहरादून, कानपुर हो या लखनऊ, या दक्षिण भारत का कोई अन्य शहर केपटाउन कहीं भी दस्तक दे सकता है। केपटाउन व संयुक्त अरब अमीरात के जल संकट के संकेत हमें गंभीर होने का इशारा करते हैं।

इसके लिए सबसे पहले जरूरी यह है कि हम जल पर एक राष्ट्रीय कानून बनाएं। ऐसे कई देश हैं, जहां जल कानूनों ने जल दुरुपयोग पर बड़ा अंकुश लगाया है। इजरायल और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश जल कानून बनाकर उन पर अमल करते हैं। दूसरा, अपने देश का 65 से 70 फीसदी जल खेती में लगा दिया जाता है। जरूरत है कि इजरायल जैसे देशों से खेती में जल का बेहतर उपयोग सीखा जाए। तीसरी और ज्यादा अहम बात जो हमारे देश के पक्ष में है, वह यह कि यहां वर्षा की बहुतायत है। हर वर्ष लगभग 4,000 अरब क्यूबिक पानी उपलब्ध होता है, पर उसका मात्र 15 फीसदी हम संरक्षित कर पाते हैं। इस दिशा में एक बड़ी पहल की आवश्यकता है। मरती नदियां, खाली होते कुओं और सूखते तालाबों को बरसात की बारिश ही नवजीवन दे सकती है। हमें सारे रास्ते तैयार करने होंगे, वह चाहे हरेक नागरिक से जुड़ा उपाय हो या कॉरपोरेट घरानों से, हमें पानी को जोड़ने के लिए हर तरह की कोशिश करनी पड़ेगी। जहां एक तरफ जल संरक्षण व इसके कुशल उपयोग पर काम करना होगा, वहीं पानी के दुरुपयोग के लिए कानून की वकालत करनी होगी। वरना हम केपटाउन व संयुक्त अरब अमीरात की खबरों की अनदेखी आने वाले समय पर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तब हम स्वयं उस जल संकट का हिस्सा होंगे। इस तरह के संकटों में समझदारी और दायित्व मात्र सरकार के जिम्मे नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि सरकार तो बदलती रहती है। लेकिन हमारी सामूहिक जागरूकता आने वाले समय में ऐसी किसी भी परिस्थिति को बदल सकती है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

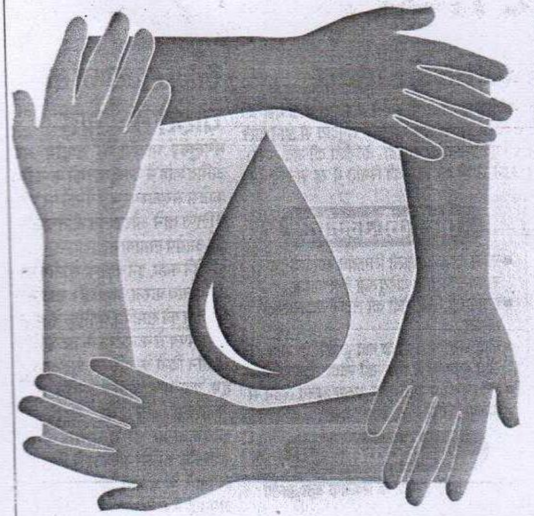

चित्रांकन : डी. श्रीनिवास

3
Covering L., YIS

News item/letter/article/editorial published on 21.02.2018 in the

Hindustan Times
Statesman
The Times of India (N.D.)
Indian Express
Tribune
Hindustan (Hindi)
Nav Bharat Times (Hindi)
Punjab Keshari (Hindi)
The Hindu
Rajasthan Patrika (Hindi)
Deccan Chronicle
Deccan Herald
M.P.Chronicle
A a j (Hindi)
Indian Nation
Nai Duniya (Hindi)
The Times of India (A)
Blitz

and documented at Bhagirath(English)& Publicity Section, CWC.

हिं-21-2-18

महानदी जल विवाद निपटारे के लिए न्यायाधिकरण बनेगा

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ओडिशा और छत्तीसगढ़ के बीच महानदी नदी के जल के बंटवारे के संबंध में विवाद का समाधान निकालने के लिए न्यायाधिकरण गठित करने को मंजूरी प्रदान कर दी।

केंद्रीय मंत्रिमंडल का यह निर्णय ऐसे समय में आया है जब उच्चतम न्यायालय ने लंबे समय से चले आ रहे इस विवाद के निपटारे के लिए पिछले महीने केंद्र को निर्देश दिया था कि वह एक महीने में न्यायाधिकरण का गठन करे।

वहीं सरकार ने कर्नाटक में बेंगलुरु-मैसुरू को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 275 के एक खंड को अधिक चौड़ा बनाने की लिए 2,920 करोड़ रुपये की परियोजना को मंजूरी दी।